Name of the undertaking	Net Profit(+)	Net Loss(-)	After Tax
	1993-94	1994-95.	1995-96 (Provisional)
COOPERATIVE SECTOR			
1. Indian Farmers Fertilizer Cooperative Ltd. (IFFCO)	123.88	211.61	132.82
2. Krishak Bharati Cooperative Ltd. (KRIBHCO)	111.86	197.39	201.95

मुरादाबाद रेलवे डिवीजन में पार्सल पर्यवेक्षकों की पदोन्नति

*487. **श्री रामजीलाल:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि महाप्रबंधक, उत्तर रेलवे द्वारा अपने पत्रांक 220-ई / 1258 / 189 / आल ए०बी०एम०बी० / आर०पी० सैल दिनांक 29 मार्च, 1996 के माध्यम से संबंधित डिवीजनल रेलवे प्रबंधक को मुरादाबाद डिवीजन के अंतर्गत बरेली जंक्शन पर कार्यरत अनुसूचित जाति के पार्सल पर्यवेक्षकों की पदोन्नति के आदेश दिए गए थे;

(ख) यदि हां, तो डिवीजनल रेलवे प्रबंधक द्वारा संबंधित पार्सल पर्यवेक्षकों को उनकी पदोन्नति के आदेश की सूचना किस तारीख को दी गई थी और उक्त आदेश किस तिथि से लागू हुआ है; और

(ग) डिवीज़नल रेलवे प्रबंधक द्वारा उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक के आदेशों के पालन में कितना विलम्ब हुआ और उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान):

(क) जी नहीं। संदर्भाधीन पत्र में महाप्रबंधक, उत्तर रेलवे ने मंडल रेल प्रबंधक, मुरादाबाद को यह निदेश दिया था कि अनुसूचित जाति के प्रश्नगत उम्मीदवार, जो 1400-2300 रु० (संशोधित वेतनमान) के ग्रेड में वाणिज्यिक अप्रेंटिसों से पहले पदोन्नत हुए थे, उन वाणिज्यिक अप्रेंटिसों से वरिष्ठ होंगे।

(ख) महाप्रबंधक के निदेशानुसार, 1400-2300 रु० (सं.वे.मा.) तथा 1600-2660 रु० (सं.वे.मा.) के ग्रेड में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की वरिष्ठता पुनः निर्धारित की गई है। उसके बाद, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को संवर्ग पुनःगठन की तारीख, अर्थात् 1.3.93 से 2000-3200 रु० (सं.वे.मा.) के ग्रेड में प्रोफार्मा पदोन्नति दी गई है। तदनुसार, पदोन्नति आदेश 19.8.96 को जारी किए गए थे।

(ग) पार्सल सुपरवाइज़रों के संवर्ग में 10 प्रतिशत विभागीय स्नातक कोटे में वाणिज्यिक अप्रेंटिसों की तुलना में विभागीय रूप से पदोन्नत कर्मचारियों की वरिष्ठता के पुनःनिर्धारण के निदेश थे, परिणामी पदोन्नतियों के लिए नहीं। वरिष्ठता में संशोधन और पदोन्नतियों के परिणामी लाभ देने के लिए निम्नलिखित चरणों का अनुसरण किया जाना अपेक्षित है: (1) पार्सल सुपरवाइज़रों की वरिष्ठता सूची में अनंतिम संशोधन (2) सूची को अधिसूचित करना और एक महीने का समय देते हुए आपत्तियां, यदि कोई हों, आमंत्रित करना और उन्हें अंतिम रूप देना (3) कनिष्ठ वाणिज्यिक अप्रेंटिसों, पार्सल सुपरवाइज़रों के नामों को हटाना (4) अनुसूचित जाति के पात्र पार्सल सुपरवाइज़रों को 2000-3200 रु० के ग्रेड में पैनल पर रखना, (5) नाम हटाने और पैनल पर रखने के लिए उत्तर रेल के प्रधान कार्यालय में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना तथा (6) प्रदोन्नति आदेश जारी करना। इन सभी प्रक्रियाओं में लगभग साढ़े चार महीने का समय लगा, जो मुनासिब है।